संख्या- 237 /2025/ 1605 /चार-2025-1860633

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2025**

विषय:- दिनांक 03 से 10 अक्टूबर, 2024 के विन्ध्याचल प्रान्तीय मेला ''शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव-2024'' की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 393/सं0नि0-15(37)/2024-25, दिनांक 14 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या- 184 /2025/ 1130/चार-2025-1860633 दिनांक 30 मार्च, 2025 द्वारा दिनांक 03 से 10 अक्टूबर, 2024 के विन्ध्याचल प्रान्तीय मेला ''शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव-2024'' स्वीकृत धनराशि रू0 3,93,500/- के सापेक्ष प्रश्नगत मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। साथ ही तद्विषयक शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2025 निरस्त करते हुए विन्ध्याचल प्रान्तीय मेला ''शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव-2024'' के अन्तर्गत दिनांक 03 से 10 अक्टूबर, 2024 की अवधि में विन्ध्याचल मीरजापुर में निम्नलिखित विवरणानुसार कलाकारों का भुगतान कराया जाना प्रस्तावित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कलाकार का नाम	विधा	संख्या	मानदेय	किराया	कुल मानदेय
1	03.10.24	सुश्री उर्मिला श्रीवास्तव, मिर्जापुर	लोक गायन	7	70000	-	70000
2	04.10.24	सुश्री उषा श्रीवास्तव, मिर्जापुर	लोक गायन	7	45000	-	45000
3	05.10.24	सुश्री दीपशिखा, प्रयागराज	ढेढिया नृत्य	15	35000	5320	40320
4	06.10.24	सुश्री शशि चतुर्वेदी, बाराबंकी	लोक गायन	7	45000	12240	57240
5	07.10.24	श्री गजाधर सोनभद्र	कर्मा/ मादल नृत्य	15	35000	5600	40600
6	08.10.24	सुश्री अनुमेहा गुप्ता, लखनऊ	लोक गायन	7	40000	11020	51020
7	09.10.24	श्री जटा शंकर, मिर्जापुर	चौलर नृत्य	7	30000	-	30000
8	10.10.24	सुश्री सपना सिंह, लखनऊ	नृत्य नाटिका दुर्गा	15	40000	19320	59320
	योग (रूपये तीन लाख तिरानबे हजार पांच सौ मात्र)						393500

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 03 से 10 अक्टूबर, 2024 के विन्ध्याचल प्रान्तीय मेला ''शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव-2024'' हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 184 /2025/ 1130/चार-2025-1860633 दिनांक 30 मार्च, 2025 को निरस्त किया जाता है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 03 से 10 अक्टूबर, 2024 के विन्ध्याचल प्रान्तीय मेला ''शारदीय नवरात्र मेला महोत्सव-2024'' में कलाकारों के मानेदय पर हुए व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

रू0 3,93,500/- (रूपये तीन लाख तिरानबे हजार पांच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in